जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक- 23.02.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को भारी मात्रा मे बिजली के तार व घटना मे प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस को गस्त / संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि धामपुर की तरफ से एक संदिग्ध पिकअप गाडी में उसका चालक, चोरी के बिजली के तार भरकर कही बेचने जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी उसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप गाडी को रूकवाकर चैक किया गया तो पिकअप मे बिजली के तारो के बंडल भरे हुए थे जिनके विषय में पिकअप नं0 DL1LAM-8351 का चालक कोई वैध कागजात नही दिखा पाया।

प्रारंभिक पूछताछ पर पिकअप चालक द्वारा बताया गया कि उसका नाम शाहनवाज पुत्र छोट मियां निवासी न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली है। सीलमपुर दिल्ली मे सिल्वर आदि के तारो को गलाकर बर्तन बनाये जाते है। उक्त पिकअप को वही चलाता है। उसकी मुलाकात राह चलते एक मुन्ने नामक व्यक्ति से हुई जिसने बताया कि उसके पास काफी मात्रा में बिजली के तार है जिन्हे वह बहुत सस्ते दामो पर उसे बेच सकता है। लालच में आकर वह उक्त मुन्ने नामक व्यक्ति के साथ धामपुर के जंगल में आया जहां पर मुन्ने द्वारा बिजली के तारो के बण्डल (वजन 1800 कि0ग्रा0) को 20,000 रूपये मे उसे बेच दिये, जिन्हे वह उक्त पिकअप मे दिल्ली लेकर जा रहा था।

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा पिकअप चालक शाहनवाज को गिरफ्तार कर बिजली के तारो से भरे पिकअप नं0 DL1LAM8351 को पुलिस कब्जे मे लिया गया। इस संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 68/25 धारा 35(1)/106(1)/317(5) बीएनएस बनाम शाहनवाज व मुन्ने उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त मुन्ने की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहनवाज पुत्र छोट मियां निवासी न्यू सीलमपुर थाना सीलमपुर दिल्ली।

बरामदगी विवरण-

1.बिजली के तारो के बन्डल (वजन 1800 कि0ग्रा0)

2.घटना मे प्रयुक्त एक पिकअप वाहन नं0 DL1LAM-8351

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 पवन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी बोबी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी सिद्धान्त थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना किरतपुर **दिनांक 23.02.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 36/2025 धारा 75/115(2)/352 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.02.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. दीपक पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 2.दीपू उर्फ दीबेश पुत्र कृपाल उर्फ ध्यान सिंह निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड की तथा विरोध करने पर मारपीट की। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 36/2025 धारा 75/115(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 352 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. दीपक पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 2. दीपू उर्फ दीबेश पुत्र कृपाल उर्फ ध्यान सिंह निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. दीपक पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. दीपू उर्फ दीबेश पुत्र कृपाल उर्फ ध्यान सिंह निवासी ग्राम कसौर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि श्री ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. का0 1891 विकास रावत थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. का0 237 विवेक शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

.

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक- 23.02.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 34/25 धारा 70(1)/87/351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.01.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुनील पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम अन्तवाडा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर वादी की पत्नी को बहला-फुसलाकर ले गया तथा उसके साथ गलत कार्य किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 34/2025 धारा 64/87/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 64 बीएनएस का लोप कर धारा 70(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाहीः-

आज दिनांक 23.02.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुनील पुत्र सत्यपाल सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम अन्तवाडा थाना खतौली जनपद मुजफ्फ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 देवीप्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 23.02.2025**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 40/2025 धारा 126(2)/76/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 7 / 8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 22.02.2025 को वादी श्री पंकज कुमार दक्ष पुत्र श्री धर्म देव निवासी ग्राम शादीपुर जलालपुर आसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोहित पुत्र चेतराम निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की 17 वर्षीय पुत्री की स्कूटी का मोटरसाईकिल से रास्ता रोककर अभद्रता की गयी तथा विरोध करने पर मारपीट व गाली गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 40/2025 धारा 126(2)/76/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 7 / 8 पॉक्सो एक्ट बनाम मोहित व एक अज्ञात व्यक्ति नाम व पता नामालूम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 23.02.2025 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोहित पुत्र चेतराम सिंह निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहित पुत्र चेतराम सिंह निवासी मौ0 मुफ्तीसराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नहटौर जनपद बिजनौर

2.कां0 1941 नवीन थाना नहटौर जनपद बिजनौर